109

0388 804763

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	लालगढ़
3.	ग्राम	:	आलमपुर
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	भूमि खसरा संख्या-906, 1065
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.0875 हेक्टेयर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	कोई पेड़ नहीं

15000 रु भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

0388 904766

9.	बोरिंग/कूप/अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 4,53,863/-
11.	मालियत	:	रू0 2,19,880/-
12.	स्टाम्प	:	रू0 45,400/-

चौहद्दी

खसरा नं0 906

पूरब : कृषि भूमि खसरा संख्या-905

पश्चिम : कृषि भूमि खसरा संख्या-908

उत्तर : कृषि भूमि खसरा संख्या-927

दक्षिण : कृषि भूमि खसरा संख्या-901, 902

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 503402

3 SEP 2007

<u>खसरा नं0 1063</u>

पूरब : कृषि भूमि खसरा संख्या–856

पश्चिम : कृषि भूमि खसरा संख्या–1066

उत्तर : कृषि भूमि खसरा संख्या–1064

दक्षिण : कृषि भूमि खसरा संख्या–1073, 1074, 1075

प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
राम भरोसे पुत्र शिव मंगल, निवासी–ग्राम अमानक, परगना, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि		अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री अम्बिका प्रसाद द्विवेदी पुत्र बेनी प्रसाद द्विवेदी, वरिष्ठ प्रबन्धक (लाइजन), वर्तमान पता–तृतीय तल, वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ। व्यवसाय–व्यापार

Ansal Properties ...

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 503401

3 SEP 2007

S.T.O.

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख राम भरोसे पुत्र शिव मंगल, निवासी–ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री अम्बिका प्रसाद द्विवेदी पुत्र बेनी प्रसाद द्विवेदी, वरिष्ठ प्रबन्धक (समन्वय), वर्तमान पता–तृतीय तल, वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 503248

2 SEP 2007

यह कि विक्रेता षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या-00309, फसली वर्ष 1409 से 1414 के खसरा संख्या-906 रकबा 0.310 व खसरा संख्या-1065 रकबा 0.215 कुल दो किता व कुल रकबा 0.525 का 1/6 भाग यानि रकबा 0.0875 हेक्टेयर, स्थित ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक काबिल व काबिज है जो विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है जो उन्हें वरासतन प्राप्त हुई है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या- 00309 के

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 947035

अनुसार कृषि भूमि विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुका है। उक्त आराजी आज विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, आगमार, कुर्की, व जमानत आदि से बाधित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब फलरूप खुद विक्रेता ने उसी आराजी खाता उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, बाबत मुबलिग रू०

Kamal Promoters & Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 547016

4,53,862/- (रूपया चार लाख तिरपन हजार आठ सौ बासठ मात्र) में क्रेता उपरोक्त को बय कराई किया, और कुल विक्रय धनराशि कब्ल तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का बाकाई बखूबी करा दिया. अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निस्बत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा. अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

नालायक होने, और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जाये या कब्जा न मिले या कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा-खर्चा व नुकसान के साथ विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 542043

कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लेवें ।

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआँ व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम अहमामऊ, परगना लखनऊ के अर्धनगरीय क्षेत्र के अति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 17,50,000/- रुपया प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है, लेकिन यहाँ कम्पनी खरीददार है इसलिए 25 प्रतिशत बढ़ाकर रू0 21,87,500/- प्रति हेक्टेअर होती है जिसके अनुसार विक्रीत भूमि रकबा 0.0875 हेक्टेअर भूमि की बाजारू मालियत रू0 2,19,680/- होती है , चूंकि खसरा संख्या-906 आबादी के निकट स्थित है अतः 25 प्रतिशत वृद्धि करते हुए कुल मालियत रू0 2,19,680/- होता है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर जनरल स्टाम्प शुल्क 45,400/- के अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुलतानपुर रोड से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री [illegible] [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा नौकरी
निवासी [illegible]
व श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा नौकरी
निवासी [illegible]
ने की ।

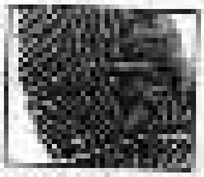

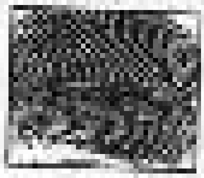

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

एस०के०एस०चौहान
उप निबंधक (द्वितीय)
लखनऊ
6/3/2007

विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

विवरण भुगतान

1. विक्रेता को रु0 4,53,862/– (रुपया चार लाख तिरपन हजार आठ सौ बासठ मात्र) द्वारा चेक संख्या–595506 दिनांकित 31.08.2007 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु0 4,53,862/– (रुपया चार लाख तिरपन हजार आठ सौ बासठ मात्र) विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आयें।

विक्रय पत्र

[illegible] 338,000.00 5,000.00 [illegible] 5,040.00 2,000

[illegible]

[illegible] [illegible]

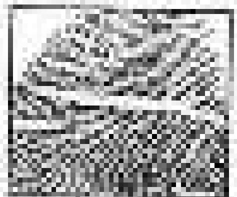

[illegible] 5/1/2007 [illegible] 4:40PM

[illegible]

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

5/1/2007

[illegible]

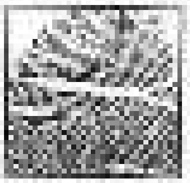

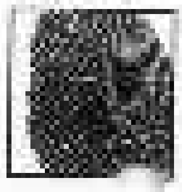

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने–अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

दिनांक: 05.09.2007
लखनऊ
गवाहान:–
क्रेता की पहचान की
1. मनोज पाठक
S/o- हरि शंकर पाठक
राजाजीपुरम - लखनऊ

विक्रेता

विक्रेता की पहचान की
2. [illegible]

क्रेता

टाईपकर्ता:
(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:
(सैय्यद अन्वार हुसैन)
एडवोकेट.

বিক্রেতা

Registration No : 8375 Year : 2007 Book No. I

[illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधि० 1908 की धारा – 32 (ए) के अनुपालन हेतु,

फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह –

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह –

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता – [illegible]

[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह –

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

দাতা

Registration No. 8353 Year : 2007 Book No. I

0201 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

<u>नक्शा नजरी</u>

ग्राम : अहमदपुर

भवन संख्या- [illegible]

मोहल्ला : [illegible]

क्षेत्र : [illegible]

[illegible]

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित अन्य सम्पत्तियों का विवरण

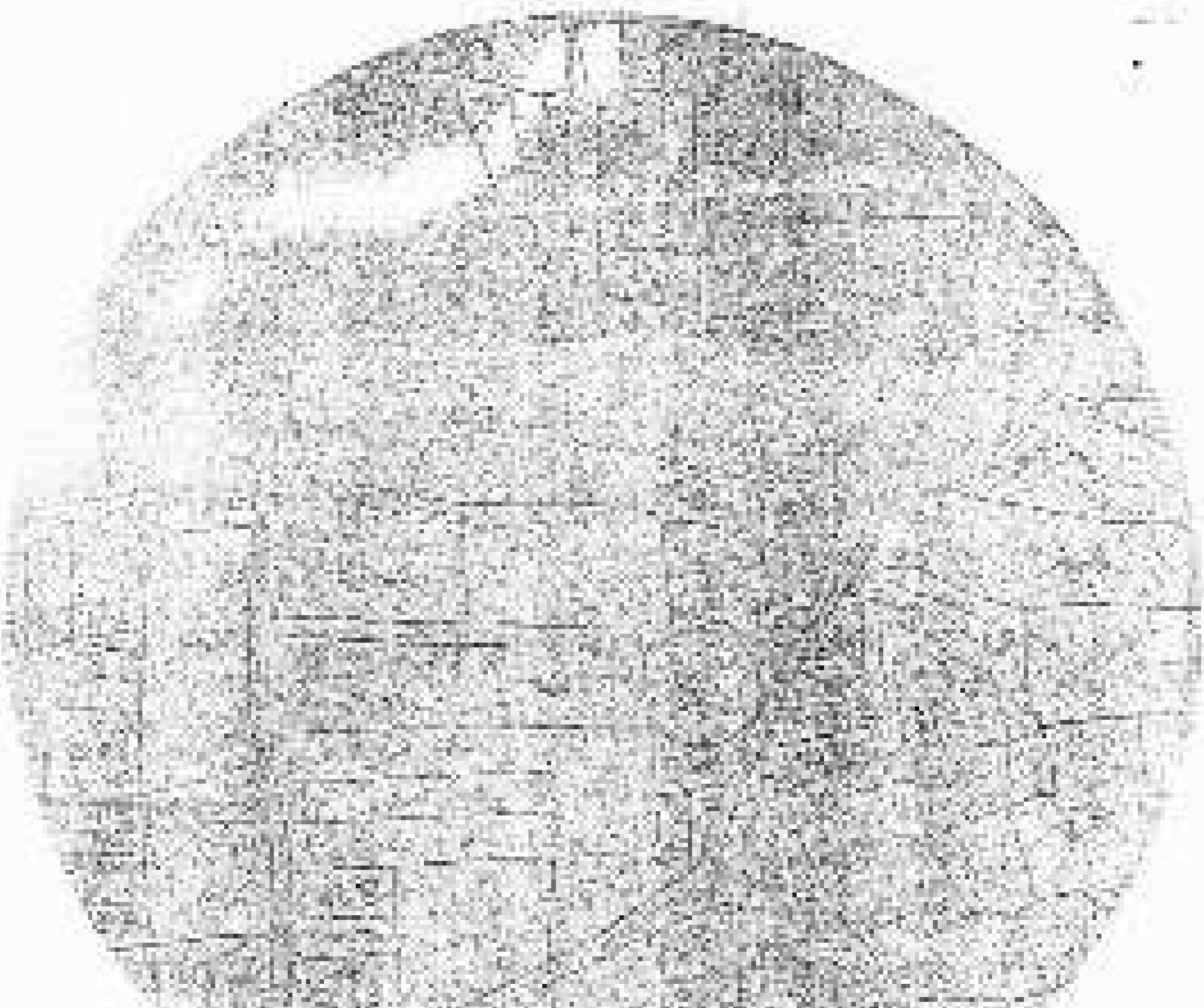

आज दिनांक 05/09/2007 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 6892

पृष्ठ सं. 329 से 356 पर क्रमांक 8355

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एस0एन0पाल

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

5/9/2007